


शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय भाटापारा
जिला : बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

फोन नं.- 07726-222912

Email -principalgovtlawcollege@gmail.com

Website-www.glcbhatapara.com



PROSPECTUS

विवरण-पत्रिका सत्र 2016-2017

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा (छ.ग.)

(1) महाविद्यालय का परिचय :-

यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की कक्षाओं के लिए संबद्ध एवं बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मार्ग अंतर्गत मुम्बई-कलकत्ता रेल मार्ग पर स्थित है। उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा संचालित प्रथम पृथक शासकीय विधि महाविद्यालय है। जहां स्नातक स्तर पर बी.ए.एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम संचालित है।

(2) महाविद्यालय में संचालित किये जाने विषय की रूपरेखा :-

पाठ्यक्रम का नाम - बी.ए.एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम जो कि 10 सेमेस्टर में विभाजित है- का अध्यापन होगा ।

प्रवेश हेतु निर्धारित सीट

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
01	बी.ए.एल.एल.बी.(पंचवर्षीय) इंटीग्रेटेड कोर्स	60

Admission Rules/प्रवेश नियम :-

विधि संकाय में नियमित प्रवेश :

- (क) बी.ए.एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।
- (ख) बी.ए.एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश हेतु सामान्य संवर्ग के छात्र/छात्राओ की आयु सीमा 20 वर्ष एवं ST/SC/OBC संवर्ग के छात्र/छात्राओ के लिए 22 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र की स्थिति में की जावेगी
- (ग) बी.ए.एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा का 10+2 (बारहवीं) में सामान्य संवर्ग के छात्र/छात्राओं/थर्ड-जेण्डर के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45: प्राप्तांक होगी किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 40: प्राप्तांक होगी ।
- (घ) चयन प्रक्रिया :- गुणानुक्रम के आधार पर ।

परीक्षा प्रणाली

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 179 के तहत बी.ए.एल.एल.बी. पंचवर्षीय(इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली निम्नानुसार प्रावधानित है :-

- (1) परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति से आयोजित होगी प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी।
- (2) पाठ्यक्रम में कुल 10 सेमेस्टर होंगे।
- (3) सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (4) प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुल प्राप्तांक 48: निर्धारित है।
- (5) इस पाठ्यक्रम का कोई भी अध्ययनरत् विद्यार्थी पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा, जब तक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो।
- (6) इसी तरह सातवें सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता तभी होगी जब विद्यार्थी ने प्रथम चार सेमेस्टर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ।
- (7) नौवें सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रथम छः सेमेस्टर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- (8) किसी भी विद्यार्थी को बी.ए.एल.एल.बी. की उपाधि तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि वह समस्त 10 सेमेस्टर्स की परीक्षा न्यूनतम 36: अंक एवं कुल प्राप्तांक 48: के साथ उत्तीर्ण न की हो।
- (9) इस सेमेस्टर प्रणाली में विद्यार्थियों को BACKLOG (ATKT) की सुविधा प्राप्त होगी ।
- (10) परीक्षा का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में होगा ।
- (11) इस परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। केवल पुर्नगणना की जा सकेगी।

बी.ए.एल.एल.बी. पंचवर्षीय (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम के सेमेस्टर-वार विषय :-

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर एवं कौंसिल ऑफ इंडिया के अद्यतन शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्र/छात्राएं बी.ए.एल.एल.बी पंचवर्षीय (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-179 के प्रावधानानुसार निम्न विषयों हेतु प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे-

Semester-I

- (1) English - I
- (2) Sociology
- (3) History
- (4) Legal History (1600-1887)

Semester-II

- (1) English - II
- (2) Economics
- (3) Political Science-I
- (4) Constitutional History of India

Semester-III

- (1) Political Science-II (major)
- (2) History - II (Minor)
- (3) Economics - II (Minor)
- (4) Contract - I (General Principles of Contract) and Specific Relief Act

Semester-IV

- (1) Political science-III (Major)
- (2) Sociology - II (Minor)
- (3) Political Science-IV (major)
- (4) Contract - II (Specific contract)
Sale of goods Act and partnership Act

Semester-V

- (1) Jurisprudence and Legal theory
- (2) Law of Torts including Motor Vehicle Act and Consumer Protection Laws.
- (3) Law of Crimes - I (I.P.C.)
- (4) Law of crimes - II
(Criminal Procedure Code, Juvenile Justice Act, Probation of Offenders Act)

Semester-VI

- (1) Law of Evidence
- (2) Constitutional Law-I
- (3) Constitutional Law-II
- (4) Environmental Law including Wild life Protection and Animal welfare

Semester-VII

- (1) Family Law - I (Hindu law)
- (2) Family Law - II (Muslim law)
- (3) Administrative Law & Right to Information Act.
- (4) Law of Equity and Indian Trust Act.1882
- (5) (Practicals) - Professional Ethics and Professional accounting system.

Semester-VIII

- (1) Labour Law and Industrial Law - I
- (2) Labour Law and Industrial Law - II
- (3) Human Rights and Public International Law.
- (4) Insurance Law
- (5) (Practicals) - Alternative Disputes Resolution

Semester -IX

- (1) C.G. land revenue Code and other Local laws
- (2) Intellectual Property Law
- (3) Company Law
- (4) Law of Taxation
- (5) (Practicals)- Moot Court exercise & intership.

Semester -X

- (1) Transfer of property Act and easement Act.
- (2) Civil procedure code and limitation act.
- (3) Interpretation of statutes and principles of legislation
- (4) Criminology and Penology
- (5) (Practicals) - Drafting, Pleading and Conveyancing.

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन

- स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र -

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इसका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा "प्रवेश" से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-
महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों से निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकते हैं।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति जी की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले को मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में निम्नानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिये था उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान "अ" के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, किन्तु पालक के स्थान (ब) ने स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) की किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः बिना प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होंगी, किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को ही स्थान रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

1. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनो तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक

अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा उच्च शिक्षा संचालनालय उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें

- 3.2 विधि स्थातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थी को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
2. प्रवेश सूची :-
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" रद्द किया गया की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर ही सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा/स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किये जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से भी वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि तथा संबंधित छात्र रेंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़-फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालयों के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां की छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
3. प्रवेश की पात्रता
- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तनुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-
- 7.1 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण

- आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
- 7.2 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेशी को अस्थाई प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.2 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
4. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में ताड़-फोड़ करने अथवा महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवार्थ कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.5 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
5. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
6. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परिक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
7. आरक्षण :-
- छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप नियमानुसार होगा :
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सीटों को आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेगी।
- (ग)) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेगी।

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा ।

परन्तु यह और कि **पूर्व गामी** परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहा खण्ड (क),(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटे अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जावेगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क्रमांक 12.1 के खण्ड (क),(ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वार्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।
- 12.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का दस प्रतिशत अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.3 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से तीस प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे ।
- 12.4 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को पांच प्रतिशत तक सीट की वृद्धि कर प्रवेश दिया जावे तथा न्यूनतम अंक में दस प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।
- 12.5 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए ।
8. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये प्रदान किया जाएगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों का अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स-

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेजर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे ।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स ।	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट	10 प्रतिशत
(य)	इयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी. एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद साहित्यिक/सांस्कृतिक/विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लिखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय

विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

- | | |
|--|------------|
| (क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 06 प्रतिशत |
| (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 07 प्रतिशत |
| (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 05 प्रतिशत |
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- | | |
|--|------------|
| (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को | 15 प्रतिशत |
| (ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 12 प्रतिशत |
| (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 10 प्रतिशत |
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- | | |
|---|------------|
| (क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को | 10 प्रतिशत |
| (ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को | 12 प्रतिशत |
- 13.6 विशेष प्रोत्साहन-छ.ग. राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुगानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दीये जाये जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक है ।
- 13.7 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे । स्नातक द्वितीय,तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे
14. विशेष :-
- 14.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी,जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्य में असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा ।
- 14.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा ।
- 14.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
- 14.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किय जायेगा ।
- 14.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छ. ग. रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रोषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।
- 14.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अपर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

आचरण संहिता

1. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
2. जिन छात्रों का आचरण असंतोषजनक रहा अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशांति की आशंका है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
3. प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगाए साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्योत्तर पाठ्यक्रमों में भी पूरा सहयोग दें। विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आवेगा। किसी भी परिस्थिति में उसकी वेशभूषा उल्लेखनीय नहीं होना चाहिये।
4. महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आदि की शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा, एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रुचि लेगा, शांति कायम रखने में और उन्हें सुधारने में सहयोग देगा। इसके विपरीत किसी भी कुप्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग लेगा न तो दूसरों को उकसायेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा करते पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगा और भाग लेगा। बिना प्राचार्य के पूर्व अनुमति के कक्षा अथवा परीक्षा से अनुपस्थित नहीं रहेगा। महाविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा रोका जा सकता है।
6. प्रत्येक छात्र अपने व्यवहार से सहपाठियों एवं शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अश्लील, अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा।
7. महाविद्यालय सीमा से 100 मीटर तक किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन वर्जित है तथा पान, गुटका तम्बाकू आदि खाकर/लेकर आना मना है। इधर-उधर थूकना, दीवारों को गन्दा करना या गन्दी बात लिखना सख्त मना है।
8. छात्रों को यदि कोई कठिनाई हो तो प्राध्यापकों अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया से और शांति पूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
9. आन्दोलन, हिंसा और आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग छात्र नहीं अपनायेंगे।
10. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यमों से हस्तक्षेप या सहायता नहीं मांगेंगे।
11. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जावेगा।
12. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति किस प्रकार बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे ऐसा व्यवहार छात्रों द्वारा अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
13. आचरण के इन साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि दोषी छात्र को उचित दंड देने में सहयोग दें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्यापन, शांति और मनोयोग के साथ चल सके।
14. छात्र- छात्राओं को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उनका नाम तत्काल महाविद्यालयीन पंजी से हटा दिया जाएगा और वे किसी छात्र प्रतिनिधि पद पर बने न रह सकेंगे।
15. महाविद्यालय में मोबाईल फोन लेकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर या दुराचार किए जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है।

अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है :-

1. निलम्बन
2. निष्कासन (रेस्ट्रिक्शन)
3. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गए अध्यादेश क्रमांक - 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय के छात्र/छात्रा को) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। जिन छात्र छात्राओं ने प्रायोगिक विषय लिए हैं उनकी 75 प्रतिशत उपस्थिति प्रायोगिक कक्षा में अनिवार्य है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जाएगा।

पात्रता संबंधी जानकारी

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ एवं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पात्रता प्रमाण पत्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रतियों सति मूल प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा, जिसमें सेकेंडरी तथा हायर सेकेण्डरी की अंकसूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क 200.00 (दो सौ रुपये) विलंब की स्थिति में विलंब शुल्क 400 (चार सौ रुपये) विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

पात्रता प्रमाण पत्र देने हेतु विश्वविद्यालय को कम से कम तीन दिनों एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक समय लग सकता है। अतएव यह सुझाव है कि वे अपना आवेदन समयानुसार विश्वविद्यालय में जमा करें।

(विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 437/अका./मान्यता/पात्रता रायपुर दिनांक 10.06.1994)

(नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जैसे ही विलंब शुल्क लागू होता है, उस तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जावेगा)

नोट - विषय चयन/व्यक्तिगत समस्या/अन्य परामर्श हेतु अपने संकाय के काउन्सलर से सम्पर्क करें।

छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र छात्र-छात्राओं के छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, विश्वविद्यालयों द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं। इन आवेदन पत्रों को विद्यार्थियों द्वारा संस्था के प्रमुख के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. रायपुर को भेजना चाहिए।
2. स्नातक शिष्यवृत्तियां आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

3. पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभारी प्राध्यापक को आवेदन करेंगे।
4. अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. रायपुर को निर्धारित तिथि पर भेजे जाने चाहिए।
5. बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना महाविद्यालय में लागू है।
6. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।
7. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जावेगी। विद्यार्थी सतत सम्पर्क बनाये रखें।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के आवेदन महाविद्यालय के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। विद्यार्थी सुनिश्चित कर ले कि उन्होंने फार्म को सही ढंग से सही प्रपत्रों के साथ सही वक्त पर जमा किया है और सभी स्थान पर वांछित हस्ताक्षर करवा लिए हैं। अन्यथा छात्रवृत्ति न मिलने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी के स्वयं का होगा।

प्रवेश प्रक्रिया (अत्यंत महत्वपूर्ण)

1. प्रवेशार्थी विवरण पत्रिका शैक्षणिक सत्र 2015-16 का पूर्ण रूपेण अध्ययन करें।
2. आवेदन पत्र की संबंधित प्रविष्टियों की पूर्ति के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर कार्यालय में अंतिम तिथि के पूर्व ही संबंधित लिपिक के पास जमा कर दें।
3. अंतिम तिथि के बाद प्रवेश हेतु संस्तुत सूची नाटिस बोर्ड पर लगायी जावेगी। यदि किसी आवेदन पत्र में त्रुटि या कमी दर्शायी गई हो तो प्रवेशार्थी उसका निराकरण अविलम्ब करें।
4. प्रवेशार्थी का प्रवेश, संस्तुत सूची में नाम आने पर, दर्शाई गई तिथि में वांछित शुल्क कार्यालय में जमा करने पर ही मान्य किया जावेगा। यदि कोई प्रवेशार्थी दर्शायी गई निर्धारित तिथि को वांछित शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त मान्य किया जावेगा।
5. प्रवेशार्थी शुल्क कार्यालय में जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करेगा और इसे निर्धारित लिपिक के पास प्रस्तुत करेगा। लिपिक उक्त रसीद के आधार पर रजिस्टर के कक्षावार क्रम (सीरियल नं.) अंकित कर प्रवेशार्थी को प्रवेश पत्र (एडमिशन कार्ड) एवं परिचय पत्र में लगाकर कार्यालय में हस्ताक्षर हेतु जमा करें। प्रवेशार्थी को इन पर प्रभारी प्राध्यापक फोटोग्राफ परिचय-पत्र में लगाकर कार्यालय में हस्ताक्षर हेतु जमा करें। प्रवेशार्थी को इन पर प्रथम प्राध्यापक (प्रवेश) एवं अंत में प्राचार्य के हस्ताक्षर लेने होंगे।
6. छात्र/छात्राएँ प्रवेश पत्र के आधार पर संबंधित कक्षा में प्राध्यापकों की कक्षा उपस्थिति पंजी में अपना नाम दर्ज करायेंगे। संबंधित प्रत्येक प्राध्यापक के पंजी में अपना नाम लिखवा लें। ऐसा न करने पर परिणामों (उपस्थिति कमी) का उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का होगा।
7. प्रवेश के संबंध में प्रवेश-समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. महाविद्यालय की समस्त आवश्यक सूचनाओं के लिए सूचनापटल को नियमित रूप से प्रतिदिन देखते रहें तथा उल्लेखित सूचनाओं का नीयत समय में पालन करें। विभिन्न सूचनाओं एवं जानकारी के लिए सूचना फलक ही एक मात्र माध्यम होगा।
2. चूंकि प्रवेश कतिपय प्रतिबंधों के साथ गुणानुकुल के उपरांत भी उपरोक्त सूचना का ध्यान न रखने पर यदि किसी प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी के स्वयं का होगा

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत

कोलाहल पूर्ण अनुचित व्यवहार करना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न होना जिससे नये छात्रों को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी अथवा मानसिक क्षति को अथवा मानसिक क्षति को अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिये कहना जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती है और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिये खतरा हो

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1 1995 अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है-

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाए या डरा धमका कर गलत ढंग से रोक कर गलत ढंग से चोट या अनुचित दबाव डालकर या भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :-

स्पष्ट आदेश :-

- सीनियर छात्रों को सर कहने के लिये
- सामूहिक कवायद करने के लिये
- सीनियरों के लिये क्लास नोट्स उतारने के लिये
- उनके सौंपे कार्य करने के लिये
- सीनियरों के लिये भृत्योचित कार्य करने के लिये
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनके उत्तर देने के लिये
- नये छात्रों का अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने अथवा अश्लील चित्रों को देखने के लिये
- शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिये बाध्य करना
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य, समलैंगिक कार्य करने के लिये बाध्य करना
- ऐसे कार्य करने के लिये बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक तक हो सकती है ।
- नंगा करना, चुंबन लेना आदि ।
- अन्य अश्लीलताएँ करना ।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है ।

प्रवेश पत्र/परिचय पत्र तथा उसका उपयोग

प्रवेश पत्र/शुल्क कार्ड(गुलाबी कार्ड) :-

महाविद्यालय में प्रवेश मिलने का सूचक होने के साथ ही प्रवेश पत्र में समस्त देय शुल्कों का पूर्ण विवरण भी रहता है अतः सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने प्रवेश पत्र को सावधानीपूर्वक रखें । छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने प्रवेश पत्र पर संबंधित विषय के प्राध्यापकों से (अपना नाम लिखाते समय) हस्ताक्षर कर लें।

छात्र/छात्रा को शुल्क का भुगतान करते समय हर बार प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालय द्वारा कोई भी शुल्क/आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थियों के हित में है कि वे कार्यालय में शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की अच्छी तरह जांच कर लें कि प्रवेश-पत्र में संबंधित प्रविष्टियाँ सही की गई है तथा शुल्क संग्राहक लिपिक द्वारा हस्ताक्षरित भी हुई है।

प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा को तद्विषयक आवेदन के साथ 20.00 रुपये शुल्क जमा कर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate) प्राप्त करनी होगी ।

परिचय पत्र :-

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश देने के समय एक परिचय पत्र दिया जावेगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में अपनी उपस्थित के दौरान अपना परिचय पत्र रखना तथा मांगने पर उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है

परिचय पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही महाविद्यालयीन पुस्तकालय से पुस्तकें छात्र/छात्राओं को दी जावेगी । स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षित निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा को तद्विषयक आवेदन के साथ 20.00 रु. शुल्क जमा करके परिचय पत्र की द्वितीय प्रति कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।

ग्रंथालय

महाविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय है। महाविद्यालय में प्रमुख समाचार पत्र, मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएं आती है ।

महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा है। पुस्तकें लेते समय उन्हें अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा ।

(अ) पुस्तकालय के सामान्य नियम :-

1. स्नातक के विद्यार्थी एकसमय में पुस्तकालय से 15 दिनों के लिए 2 पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं ।
2. स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी एक समय में पुस्तकालय/विभागीय ग्रंथालय से 3 पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं ।
3. पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने व जमा करने हेतु कक्षावार दिन एवं समय निर्धारित है, जिसकी जानकारी ग्रंथागार के सूचना पलक से प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात पुस्तकें जमा करने पर प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1.00 रुपये की दर से अर्थदंड देना होगा ।
4. विद्यार्थियों को चाहिये कि पुस्तकें निर्गमित कराते समय पुस्तकों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर लें । पुस्तक के पृष्ठ कटे फटे अथवा कोई पृष्ठ न होने की दशा में ग्रंथपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें। ऐसा न करने की दशा में पुस्तकें वापसी के समय ऐसी स्थिति होने पर संबंधित विद्यार्थी इसके लिए दोषी माना जावेगा।
5. पुस्तकालय की पुस्तको में लिखना, रेखांकित करना पृष्ठ निकालना या अन्य किसी प्रकार से विरूपित करना, क्षति पहुंचाना दंडनीय है। ऐसे कृत्य से बचें ।
6. कोष, विश्वकोष, दुर्लभ ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं, मानचित्र, चित्रावलियों को घर के लिये दिया जाना वर्जित है । इनका उपयोग अध्ययन कक्ष में बैठकर ही किया जा सकेगा ।
7. पूरक प्राप्त छात्र/छात्राओं को यदि अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया है तो उन्हें ग्रंथालय सुविधा पूरक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही दी जावेगी ।
8. विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वतः अवगत रहें ।

(ब) अन्य विशिष्ट सुविधाएं :-

सीमित संख्या में निर्धन एवं योग्य छात्र/छात्राओं को उनकी कक्षा के समस्त विषयों की पाठ्य पुस्तकें पूर्ण सत्र के लिए निःशुल्क 'बुक बैंक' योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवायी जाती है । प्रदत्त पुस्तकें परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त करने के समय लौटाना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी ग्रंथपाल से प्राप्त की जा सकती है ।

शुल्क संबंधी रियायतें (कंसेशन)

1. रियायतें केवल शिक्षण शुल्क में ही दी जाती हैं । अन्य शुल्क पूरे देने होंगे । छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट है । (विधि को छोड़कर) उन्हें अन्य शुल्क संबंधी रियायतों के लिए आवेदन, महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र पर ही स्वीकार किये जावेंगे अन्य में नहीं ।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति रियायतें :-
अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा । ऐसे विद्यार्थियों को जाति के संबंध में प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा, अन्य सुविधा हेतु नियमित रूप से सूचना फलक देखते रहें, किसी भी त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।
3. भाई संबंधी रियायतें :-
यदि दो या अधिक सहोदर भाई इसी महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करत हैं तो उनमें से बड़े को पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा ।
4. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे। स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र-छात्रा इस रियायत के अधिकारी नहीं हैं।
5. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 2246/32/7 बीस 9/72 दिनांक 5.2.77 के अनुसार प्रथम उपाधि स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के तथा सभी वर्ग के मृत शासकीय सेवकों के बच्चों को निर्धारित शिक्षण शुल्क में पूरी छूट दी जावेगी ।

उपर्युक्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रमाण-पत्र कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक पूर्ति उपरांत जमा करना होगा । टीप :-उपरोक्त रियायतें स्ववित्तीय योजना के पाठ्यक्रमों/एड-ऑन कोर्सेस/विधि/अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिये लागू नहीं है ।

अन्य :

राज्य शासन शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 73/162/डी 420 दिनांक 5.2.77 के अनुसार दिसम्बर 1971 के भारत पाक युद्ध में दिवंगत, घायल अथवा अपंग हुए सैनिक अधिकारियों की विधवाओं, पत्नियों एवं बच्चों, 1962 के भारत चीन युद्ध में दिवंगत घायल अथवा अपंग सैनिक अधिकारियों की विधवाओं, पत्नियों एवं बच्चों को नियमानुसार जिलाधीश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का शिक्षण शुल्क आदि में सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी । शिक्षण शुल्क प्राप्त करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, अनुश्रान्त भंग करने पर अध्ययन असंतोषजनक गति की दशा में,

गलत आचरण पाये जाने पर, किसी आंदोलन या हड़ताल में भाग लेने आदि के कारण उक्त सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है । इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को आवेदन पत्र देना अनिवार्य है ।

टीप :- राज्य शासन के आदेश क्रमांक 228/9599 बीस दिनांक 6.1.67 के अनुसार निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को आदेश क्र. 2256/3237 बीस 9/72 दिनांक .5.73 के अंतर्गत शिक्षण शुल्क में छूट नहीं दी जाती :

1. केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों के बच्चों का
2. बैंक कर्मचारियों के बच्चों को
3. नगर पालिका कर्मचारियों के बच्चों को
4. ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के बच्चों को
5. स्वशासी संस्था/बॉडी के कर्मचारियों के बच्चों को ।

प्रवेश आवेदन के साथ दिये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची

1. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का मूल प्रमाण पत्र जमा करते समय जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. जन्म तारीख का प्रमाण पत्र हायर सेकण्डरी के परीक्षा अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि।
(10 वीं अथवा 12 वीं जिसमें उल्लेख हो ।)
3. निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो ।
4. चरित्र प्रमाण पत्र।
5. विगत अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तको (अंकसूची) की सत्यापित प्रतिलिपि ।
6. नियोक्ता की स्वीकृति (यदि सेवारत हो तो) ।
7. अनुसूचिम जाति/जनजाति/विकलांग/पिछड़ा जाति का छात्र होने का प्रमाण पत्र ।
8. शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संबंधित कार्यालय प्रमुख का (चालू सत्र का) नवीनतम प्रमाण पत्र मूल प्रति में ।
9. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (यदि अन्य विश्वविद्यालय अथवा छ.ग. के बाहर बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर)।
10. बी.पी.एल./विकलांग प्रमाण पत्र ।
11. पालक की आय का मूल प्रमाण पत्र ।
12. अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा प्रवेश वर्ष के पूर्व उत्तीर्ण की हो तो अवधि गेप संबंधी शपथ-पत्र (एफिडेविट), इस स्पष्टीकरण सहित कि प्रवेश चाहे गये कक्षा में किसी महाविद्यालय में नियमित प्रवेश नहीं लिया गया तथा किसी महाविद्यालय में उस कक्षा की परीक्षा नहीं दी थी ।


GLC
GOVERNMENT LAW
COLLEGE


शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)पिन 493-118
सत्र 2015-16 में छात्र-छात्राओं द्वारा भुगतान किये जाने वाले
विभिन्न शुल्को का विवरण


कक्षा का नाम -बी.ए.एल.एल.बी. (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम)

क्रमांक	विवरण	शुल्क
1	प्रति सेमेस्टर शिक्षण शुल्क	172.00
2	प्रवेश शुल्क	03.00
3	स्टेशनरी शुल्क	02.00
4	एकीकृत (सम्मिलित निधि एवं क्रीडा शुल्क)	32.00
5	छात्रसंघ	02.00
6	परिचय पत्र	05.00
7	स्नेह सम्मेलन शुल्क	05.00
8	चिकित्सा शुल्क	05.00
9	छात्र कल्याण	05.00
10	महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00
11	शारीरिक कल्याण शुल्क (वि.वि. द्वारा निर्धारित)	150.00
12	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (वि.वि. द्वारा निर्धारित) प्रथम वर्ष	150.00
13	विश्वविद्यालय छात्रसंघ शुल्क	1.00
14	सुरक्षा निधि (प्रथम वर्ष)	100.00
15	छात्र कामन रूम	20.00
16	सेमीनार कार्यशाला शुल्क	300.00
17	रेड क्रस शुल्क	25.00
18	विधि छात्रों के लिए अतिरिक्त शुल्क	1000.00
19	पत्रिका शुल्क	60.00
20	जनभागीदारी शुल्क (प्रस्तावित)	1000.00
21	अप्रवासन शुल्क (अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु)	300.00
	कुल योग	3362.00

नोट- शासन के निर्देशानुसार शास.जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से प्राप्त शुल्क सूची अनुसार उपरोक्त शुल्क विवरण प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त सभी या कोई भी शुल्क परिवर्तनीय है।


(प्रो. अखिलेश तिवारी)
सहा.प्रा. विधि विभाग




11.6.15

Seen


PRINCIPAL

Naveen Vidhi Govt. College Bhatapara
Dist. Balodabazar-Bhatapara (C.G.)
DDO Code No.-1938010

अस्थायी प्रवेश हेतु छात्र-छात्रा द्वारा परिचयन (अंडरटेकिंग)

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय भाटापारा
जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा (छ.ग.)

विषय :- सशर्त अस्थायी प्रवेश बाबत ।

महोदय,

मैं.....आत्मज/आत्मजा.....
निवेदन करता/करती हूँ कि कक्षामें प्रवेश चाहता/चाहती हूँ ।
मेरे द्वारा जमा किये गये प्रवेश आवेदन पत्र में
प्रमाण पत्रों की कमी है ओर दिनांकतक यदि मैं उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित समय
में महाविद्यालय कार्यालय में जमा करने में असफल रहता हूँ/रहती हूँ तो मेरा प्रवेश निरस्त समझा जावेगा, जिसके
लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा महाविद्यालय में जमा किया गया शुल्क वापसी का हकदार नहीं
रहूंगा/रहूंगी ।

अतः मुझे सशर्त अस्थायी प्रवेश देने की कृपा करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नाम

आत्मज/आत्मजा

पता

GLC
GOVERNMENT LAW
COLLEGE

उपलब्ध सुविधाएं :-

- (1) ग्रंथालय एवं वाचनालय
- (2) फ्री वाय-फाई परिसर

विशिष्ट गतिविधियां :- विधिक सहायता केन्द्र

भारतीय विधिज्ञ परिषद के विधिक शिक्षा नियम 2008 के प्रावधानों के तहत महाविद्यालय जिले का एकमात्र "विधिक सहायता केन्द्र" संचालित है। इसमें नियमानुसार 10 छात्र-छात्राओं को विधिक स्वयं सेवक के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस केन्द्र आर्थिक रूप से कमजोर एवं सुविधा विहीन लोगों को निःशुल्क विधिक परामर्श एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जनभागीदारी समिति :-

महाविद्यालय विकास को गति प्रदान करने एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने, जनसहयोग प्राप्त करने एवं अकादमिक मानदण्डों स्थापित करने के महती उद्देश्य से छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार इस महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का गठन किया गया है।

महाविद्यालय जनभागीदारी समिति- अध्यक्ष- श्री रविन्द्र शर्मा

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य -डॉ. अलका श्रीवास्तव

क्रं	नाम	पदनाम	विषय
01	डॉ. रीता दीवान	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र
02	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	सहायक प्राध्यापक	विधि
03	डॉ. सुरेश मणि त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक	विधि
04	श्री संजय दीक्षित	सहायक ग्रेड - 01	
05	श्रीमती शीतला सोनी	सहायक ग्रेड - 02	
06	श्री शेष नारायण तिवारी	सहायक ग्रेड - 03	
07	श्री अजीत वर्मा	भृत्य	

GOVERNMENT LAW
COLLEGE